उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-5
संख्या-59/2025/1283/12-5099/125/2025
लखनऊः दिनांकः 14-10-2025

<u>कार्यालय-आदेश</u>

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रदेश के 12 जनपदों में यथा- महोबा, सोनभद्र, हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी, उन्नाव, प्रयागराज, चित्रकूट, प्रतापगढ़, श्रावास्ती एवं ललितपुर में प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु कृषि निदेशक, उ०प्र० के पत्रांक-ए0ए0-2595/2025-26, दिनांक 07 अक्टूबर, 2025 द्वारा अपर निदेशक(चावल), कृषि भवन, लखनऊ को राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

कृषि निदेशक, उ०प्र० के पत्रांक-ए0ए0-2595/2025-26, दिनांक 07 अक्टूबर, 2025 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशक(कृषि) को एतदद्वारा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नामित नोडल अधिकारी का विवरण निम्नवत है:-

पदनाम	निदेशक (कृषि), उत्तर प्रदेश
कार्यालय का नाम एवं पता	कृषि भवन, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ
ई-मेल	dirag@nic.in
कार्यालय दूरभाष	0522- 2205868, 2205869
मोबाइल नं०	9415322558

निदेशक, कृषि(नोडल अधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि वे योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जाना तत्काल प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

टी०के० शिबु
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं रेशम/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योग/पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य/सहकारिता/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, महोबा/सोनभद्र/हमीरपुर/बांदा/जालौन/झांसी/उन्नाव/प्रयागराज/चित्रकूट/प्रतापगढ/श्रावास्ती एवं ललितपुर।
5. निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7. समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. अपर कृषि निदेशक (चावल), कृषि भवन, लखनऊ।
9. संबंधित संयुक्त/उप कृषि निर्देशक एवं जिला कृषि अधिकारी, उ०प्र०।
10. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।